प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक : 07 अक्टूबर, 2016

विषय : ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.) के अन्तर्गत लिए गये कार्यों के तकनीकी प्राक्कलन एवं मापन हेतु तकनीकी अधिकारी नामित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पंचायत राज विभाग, उ.प्र. शासन के शासनादेश संख्या–2618 / 33–3–2015–10जी.आई. / 2015, दिनांक 29 सितम्बर, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के समग्र विकास हेतु पंचायतों द्वारा स्वयं की ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

इसके क्रम में ग्राम पंचायतों द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार कर प्लान–प्लस सॉफ्टवेयर पर अपनी ग्राम पंचायत विकास योजना को अपलोड कर दिया गया है तथा एक्शन सॉफ्ट सॉफ्टवेयर पर ग्राम पंचायत विकास योजना के अन्तर्गत लिए गये प्रत्येक कार्य की वर्क आई.डी. भी विकसित की जा चुकी है, जिसकी संख्या प्रदेश में लगभग 11 लाख है, परन्तु ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.) के क्रियान्वयन किये जाने में ग्राम पंचायत स्तर पर प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या के कार्यों के प्राक्कलन एवं मापन तैयार करने में कठिनाई आ रही है। प्राक्कलन बनाने का कार्य तकनीकी अधिकारी अथात् अवर अभियंता द्वारा किया जाना होगा।

अतः उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जिला पंचायत तथा मण्डी परिषद के अवर अभियंताओं को ग्राम पंचायतों की ग्राम पंचायत विकास योजना के अन्तर्गत लिए गये कार्यों का तकनीकी प्राक्कलन एवं मापन हेतु खण्डवार तकनीकी अधिकारी के रूप में तत्काल नामित करना सुनिश्चित करें, जिससे प्रदेश में ग्राम पंचायत विकास योजना का क्रियान्वयन सफलतापूर्वक किया जा सके एवं विकास के कार्य कराये जा सकें।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

(2015)
उप निदेशक (पं०) (श्री सिंह)
Pl. circulate
निदेशक
07/10/16

RLP&AC

7/10/16

(एस० एन० सिंह)
उप निदेशक (पं०)

संख्या : 2622 (1)/33—3—2016,—तद्दिनांक।
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, पंचायती राज, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. स्टाफ आफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0।
4. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ.प्र. शासन।
5. प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. निदेशक, मण्डी परिषद, उ0प्र0शासन।
7. समस्त मंडलायुक्त, उ0प्र0।
8. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
9. समस्त मंडलीय उपनिदेशक(पं0), उ0प्र0।
10. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(एस0पी0सिंह)
उप सचिव।